



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]
No. 106]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 1987/फाल्गुन 14, 1908
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 1987/PHALGUNA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च 1987

प्रधिसूचना

सा.का.नि. 274(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी, (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में क्रम संख्या 25 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	वयन पद अथवा अन्वयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
श्रोता अनुसंधान अधिकारी	34* (1987) *कर्यभार के प्राधान्य पर परिवर्तन	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिबीय	700-40- 900-व.रो.- 1100-50- 1300 रुपए	वयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

1	2	3	4	5	6	7
	क्रिया जा सका है					टिप्पण :—आयु सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, भारत में अभ्यर्थियों ने उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं। प्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यिष्ठित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की वशा में लागू होगी या नहीं			परिक्षा की अवधि यदि कोई हो
		8		9		10
	प्रायश्चक :			नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।
	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान या मानव विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य।					
	(2) सामाजिक सांख्यिकी विभाग में लोक राय मनांकन भी है के मध्यस्थ और विप्लेण या विशेष सेवा अनुसंधान या जनसंख्या अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।					
	टिप्पणी 1.—अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।					
	टिप्पणी 2.—प्रारंभिक संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारंभिक रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।					
	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता					प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वार भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
		11				12
	33% प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 66% प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।			प्रोन्नति : प्राकाशवाणी/दूरदर्शन में गेम्स ज्येष्ठ अन्वेषक/अनुसंधान सहायक जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदस्य पद धारण करते हैं, या (2) जिन्होंने 650-1200 रुपए वेतनमान या समतुल्य में 3 वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 550-900 रुपए के वेतनमान या समतुल्य में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में अधिकृत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार किए जाने के पास नहीं होंगे।		

11

12

उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उनी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

भीषी भर्ती करने समय और प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए किसी अधिकारी का चयन करने समय जब लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. निदेशक (आकाशवाणी) या उपसचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य
3. उपमहानिदेशक (कार्मिक और प्रशिक्षण), दूरदर्शन महानिदेशालय—सदस्य
4. निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी महानिदेशालय—सदस्य

पुण्डि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. निदेशक (आकाशवाणी) या उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष
2. उपमहानिदेशक (कार्मिक और प्रशिक्षण), दूरदर्शन महानिदेशालय—सदस्य
3. निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी महानिदेशालय—सदस्य

टिप्पणी : — पुण्डि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी

[संख्या 7/17/83—ए.प्र.र./बी (ए)]

प्रार. सी. मिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : — मूल नियम जिन्हें आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 कहा गया है सा.का.नि. सं. 24 तारीख 23-12-63 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. 11/8/82-बी (ए) तारीख 9-6-1964
2. अधिसूचना सं. 11/11 62-बी (ए) तारीख 18 6-64, सा.का.नि. सं. 924 तारीख 27-6-64
3. अधिसूचना सं. 5/24/62-बी (ए) तारीख 31-8-65, सा.का.नि. सं. 1314 तारीख 11-9-65
4. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए) तारीख 17-9-65, सा.का.नि. सं. 1487 तारीख 9-10-65
5. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-65, सा.का.नि. सं. 1820 तारीख 11-12-1965
6. अधिसूचना सं. 13/78/62-बी (ए) तारीख 30-11-1965, सा.का.नि. सं. 1873 तारीख 25-12-65
7. अधिसूचना सं. 11/8 65-बी (ए) तारीख 9-9-1966, सा.का.नि. सं. 1464 तारीख 4-9 1966
8. अधिसूचना सं. 5/14/65 -बी (ए) तारीख 28-7-65
9. अधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए) तारीख 9-9-1966 सा.का.नि. सं. 164 तारीख 4-9-66
10. अधिसूचना सं. 5/3/67-बी (ए) तारीख 7-10-1967 सा.का.नि. सं. 1563 तारीख 21-10-67
11. अधिसूचना सं. 20/2/67-बी (ए) तारीख 4-12-67 सा.का.नि. सं. 1856 तारीख 16-12-67
12. अधिसूचना सं. 6/10/78-बी (ए) तारीख 3-7-67 सा.का.नि. सं. 1352 तारीख 20-6-68
13. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी (ए) तारीख 13-9-1968 सा.का.नि. सं. 1791 तारीख 28-9-68
14. अधिसूचना सं. 7/5/68-बी (ए) तारीख 9-10-68, सा.का.नि. सं. 1905 तारीख 2-11-1968
15. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए) तारीख 9-10-68 सा.का.नि. सं. 2078 तारीख 20-11-68
16. अधिसूचना सं. 8/12/68-बी (ए) तारीख 14-11-68 सा.का.नि. सं. 2079 तारीख 30-11-68
17. अधिसूचना सं. 17/8/68-बी (ए), तारीख 8-6-1969 सा.का.नि. सं. 1473 तारीख 21-6-69
18. अधिसूचना सं. 17/8/68-बी (ए), तारीख 4-6-1969 सा.का.नि. सं.
19. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी (ए), तारीख 299. 69 सा.का.नि. सं. 2252 तारीख 21-9-69

20. अधिसूचना सं. 17/2/69-बी (ए), तारीख 7-11-69 सा.का.नि. सं. 2885 तारीख 29-11-69
21. अधिसूचना सं. 17/1/69-बी (ए), तारीख 23-2-1970 सा.का.नि. सं. 405 तारीख 7-3-70
22. अधिसूचना सं. 17/3/69-बी (ए) तारीख 16-9-1970 सा.का.नि. सं.
23. अधिसूचना सं. 1/2/70-बी (ए) तारीख 18-2-71 सा.का.नि. सं. 639 तारीख 20-3-1970
24. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए) तारीख 22-3-1971 सा.का.नि. सं. 603 तारीख 24-4-1971
- 24ए. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 3-5-72 सा.का.नि. सं. 820 तारीख 8-7-1972
25. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी () तारीख 6-12-1971 सा.का.नि. सं. 51 तारीख 1-1-1972
26. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी (ए), तारीख 10-1-1972
27. अधिसूचना सं. 1/3/70-बी (ए), तारीख 18-5-1972 सा.का.नि. सं.
28. अधिसूचना सं. 1/9/78-बी (ए), तारीख 6-6-1972 सा.का.नि. सं. 818 तारीख 8-7-72
29. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए) तारीख 13-6-72
30. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए) तारीख 30-9-1972 सा.का.नि. सं. 1386 तारीख 4-9-72
31. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए) तारीख 6-12-72 सा.का.नि. सं. 1602 तारीख 23-12-72
32. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए) तारीख 30-9-1972
33. अधिसूचना सं. 5/39/71-बी (ए) तारीख 3-12-1973
34. अधिसूचना सं. 1/4/78-बी (ए) तारीख 2-6-1973 सा.का.नि. सं. 635 तारीख 16-6-1973
35. अधिसूचना सं. 1/10/71-बी (ए) तारीख 10-9-1973
36. अधिसूचना सं. 1/2/73-बी (ए) तारीख 29-9-1973 सा.का.नि. सं. 1148 तारीख 20-10-1973
37. अधिसूचना सं. 1/2/72-बी (ए) तारीख 26-10-1974 सा.का.नि. सं. 1196 तारीख 9-11-74
38. अधिसूचना सं. 5/33/70-बी (ए) तारीख 30-10-74 सा.का.नि. सं. 1220 तारीख 16-11-1974
39. अधिसूचना सं. 1/18/73-बी (ए) तारीख 18-10-74 सा.का.नि. सं. 1195 तारीख 19-11-74
40. अधिसूचना सं. 5/17/74-बी (ए) तारीख 13-2-1975 सा.का.नि. सं. 257 तारीख 22-2-1975
41. अधिसूचना सं. 5/68/73-डीबी तारीख 5-4-1975
42. अधिसूचना सं. 1/1/71-बी (ए) तारीख 30-6-1975 सा.का.नि. सं. 895 तारीख 19-7-1975
43. अधिसूचना सं. 1/3/75-बी (ए) तारीख 19-12-75 सा.का.नि. सं. 64, तारीख 10-1-1976
44. अधिसूचना सं. 1/8/75-बी (ए) तारीख 20-2-1976 सा.का.नि. सं. 391 तारीख 13-3-1975
45. अधिसूचना सं. 5/14/75-बी (ए) तारीख 23-3-1976
46. अधिसूचना सं. 5/10/76-बी (ए) तारीख 7-5-76 सा.का.नि. सं. 786 तारीख 5-6-1976
47. अधिसूचना सं. 1/1/73-बी (ए) तारीख 19-7-1976 सा.का.नि. सं.
48. अधिसूचना सं. 12018/5/75-बी (ए) तारीख 16-8-1977 सा.का.नि. सं. 118 तारीख 10-9-1977
49. अधिसूचना सं. 12019/7/77-बी (ए) तारीख 15-9-1977 सा.का.नि. सं. 1358 तारीख 8-9-1977
50. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए) तारीख 15-12-1977 सा.का.नि. सं. 31 तारीख 7-1-1978
51. अधिसूचना सं. 12018/4/75-बी (ए) तारीख 20-2-1970 सा.का.नि. सं.
52. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए) तारीख 4-6-1978 सा.का.नि. सं.
53. अधिसूचना सं. 12019/8/78-बी (ए) तारीख 26-12-1986 सा.का.नि. सं. 94 तारीख 20-1-79
54. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए) तारीख 10-4-78
55. अधिसूचना सं. 12018/1/76-बी (ए) तारीख 18-7-80 सा.का.नि. सं. 1231 तारीख 29-11-80
56. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए) तारीख 1-11-80
57. अधिसूचना सं. 12019/9/77-बी (ए) तारीख 9-1-1981
58. अधिसूचना सं. 12024/13/76-बी (ए) तारीख 8-7-81 सा.का.नि. सं. 722 तारीख 1-8-81
59. अधिसूचना सं. 12019/1/81-बी (ए) तारीख 26-9-81 सा.का.नि. सं. 939 तारीख 17-10-81
60. अधिसूचना सं. 12018/1/81-बी (ए) तारीख 31-8-1981 सा.का.नि. सं. 869 तारीख 19-9-81
61. अधिसूचना सं. 120188/1/81-बी (ए) तारीख 31-7-82 सा.का.नि. सं. 692 तारीख 11-8-82
62. अधिसूचना सं. 12019/1/81-बी () तारीख 1-3-83 सा.का.नि. सं.
63. अधिसूचना सं. 19011/12/81-बी (ए) तारीख 11-8-83 सा.का.नि. सं.
64. अधिसूचना सं. 45011/83-82-बी (ए) तारीख 28-10-84 सा.का.नि. सं. 739 (ए) तारीख 23-10-84
65. अधिसूचना सं. 12019/2/84-बी (ए) तारीख 27-2-1985
66. अधिसूचना सं. 12019/1/85-बी (ए) तारीख 10-5-1985
67. अधिसूचना सं. 33013/7/84-85-बी (ए) तारीख 18-7-1986 सा.का.नि. सं. 948 (ए) तारीख 18-7-86

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 1987

G.S.R. 274(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1963, for serial No. 25 and the entries related thereto the following shall be substituted, namely:—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
25. Audience Research Officer	34* (1987) * Subject to variation dependent on work load.	General Service Group 'A', Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 700-40-900-EB- 1100-50-1300.	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential : (i) Master's degree in Statistics/Economics/Sociology/Psychology or Anthropology of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years experience of collection and analysis of social statistics including public opinion polls or social service service research or Mass Communication Research.	No.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion, deputation/transfer to be made

10

11

33-1/3% by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.
66-2/3% by direct recruitment.

Promotion :
Senior investigators/Research Assistants with 5 years' regular service in their respective grades in All India Radio/Doordarshan.

Transfer on deputation :
Officer under the Central Government/State Government:—
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with 3 years' regular service in the scale of Rs. 650—1200 or equivalent; or

(iii) At least 5 years' regular service in the scale of Rs. 550—900 or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 7.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similiary deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.)

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

12

13

Group 'A' DPC for promotion :

- 1 Chairman/Member Union Public Service Commission— Chairman
- 2 Director (AIR) or Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting— Member;
- 3 Deputy Director General (Per. & Training) Directorate General, Doordarshan— Member;
- 4 Director Audience Research, Directorate General, All India Radio— Member

Group 'A' DPC for consideration confirmation :

- 1 Director (AIR)/Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting— Chairman;
- 2 Deputy Director General (Personnel & Training), Directorate General, Doordarshan— Member;
- 3 Director Audience Research, Directorate General, All India Radio— Member

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held

Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while making direct recruitment and selecting an officer on transfer on deputation.

Note :— The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. dated 23-12-1983 subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-6-1984	
2. No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-64,	G.S.R. No. 994 dated 27-6-64
3. No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-65,	G.S.R. No. 1314 dated 11-9-65
4. No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-65	G.S.R. No. 1487 dated 9-10-65
5. No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-65	G.S.R. No. 1820 dated 11-12-1965
6. No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965	G.S.R. No. 1873 dated 25-12-65
7. No. 11/8/64-B(A), dated 29-5-67	G.S.R. No. 974 dated 1-7-67
8. No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-65	
9. No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966	G.S.R. No. 1464 dated 4-9-1966
10. No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-1967	G.S.R. No. 1563 dated 21-10-67
11. No. 20/2/67-B(A), dated 1-12-67	G.S.R. No. 1856 dated 16-12-67
12. No. 6/107/65-B(A), dated 3-7-67	G.S.R. No. 1352 dated 20-7-68
13. No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-1968	G.S.R. No. 1791 dated 28-9-68
14. No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968	G.S.R. No. 1905 dated 2-11-1968
15. No. 5/12/68-B(A) dated 9-10-68	G.S.R. No. 2078 dated 20-11-68
16. No. 8/12/68-B(A), dated 14-11-68	G.S.R. No. 2079 dated 30-11-68
17. No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969	G.S.R. No. 1473, dated 21-6-69
18. No. 17/6/68-B(A), dated 4-6-1969	G.S.R. No.
19. No. 11/5/65-B(A), dated 2-9-69	G.S.R. No. 2252 dated 21-9-69
20. No. 17/2/69-B(A), dated 7-11-69	G.S.R. No. 2885 dated 29-11-69
21. No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1970	G.S.R. No. 405 dated 7-3-70
22. No. 17/3/69-B(A) dated 16-9-1970	G.S.R. No.
23. No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-71	G.S.R. No. 639 dated 20-3-1970
24. No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971	G.S.R. No. 603 dated 24-4-1971
24A. No. 5/12/68-B(A), dated 3-5-72	G.S.R. No. 820 dated 8-7-1972
25. No. 1/2/71-B(A) dated 6-12-1971	G.S.R. No. 51 dated 1-1-1972
26. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972	
27. No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972	
28. No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972	G.S.R. No. 818 dated 8-7-1972
29. No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-72	
30. No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972	G.S.R. No. 1386 dated 4-9-72
31. No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-1972	G.S.R. No. 1602 dated 23-12-72
32. No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972	
33. No. 5/39/71-TV, dated 3-12-1973	
34. No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973	G.S.R. No. 685, dated 16-6-1973
35. No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973	
36. No. 1/2/73-B(A), dated, 29-9-1973	G.S.R. No. 1148, dated 20-10-1973
37. No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-1974	G.S.R. No. 1196, dated 9-11-74
38. No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-74	G.S.R. No. 1220 dated 16-11-1974
39. No. 1/18/73-B(A), dated 19-10-74	G.S.R. No. 1195 dated 19-11-74
40. No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-1975	G.S.R. No. 367 dated 23-2-1975
41. No. 5/66/73-TV, dated 5-4-1975	
42. No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975	G.S.R. No. 895, dated 19-7-1975
43. No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-75	G.S.R. No. 64, dated 10-1-1976
44. No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1976	G.S.R. No. 391, dated 13-3-1976
45. No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-1976	
46. No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-76	G.S.R. No. 786, dated 5-6-1976
47. No. 1/1/73-B(A), dated 19-7-1976	G.S.R. No.
48. No. 12018/5/76-B(A), dated 16-8-1977	G.S.R. No. 118, dated 10-9-1977
49. No. 12019/7/77-B(A), dated 15-9-1977	G.S.R. No. 1358, dated 8-9-1977
50. No. 12018/5/76-B(A), dated 15-12-1977	G.S.R. No. 31 dated 7-1-1978
51. No. 12018/4/76-B(A), dated 20-2-1978	
52. No. 12018/5/76-B(A), dated 4-6-1978	

53. Notification	No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-1986	G.S.R. No. 94 dated 20-1-79
54.	No. 12018/5/76-B(A), dated 18-4-78	
55.	No. 12018/1/76-B(A), dated 18-7-80	G.S.R. No. 1231 dated 29-11-80
56.	No. 12018/5/76B(A), dated 1-11-80	
57.	No. 12019/9/77-B(A), dated 9-1-1981	
58.	No. 12024/13/76-B(A), dated 8-7-81	G.S.R. No. 722 dated 1-8-81
59.	No. 12019/1/81-B(A), dated 26-9-81	G.S.R. No. 939 dated 17-10-81
60.	No. 12018/1/81-B(A), dated 31-8-1981	G.S.R. No. 869 dated 19-9-81
61.	No. 12018/4/76-B(A), dated 31-7-82	G.S.R. No. 692 dated 14-8-82
62.	No. 12019/1/81-B(A) dated 1-3-83	
63.	No. 19011/12/81-B(A) dated 11-8-83	
64.	No. 45011/83/82-B(A) dated 23-10-84	G.S.R. No. 739(A) dated 23-10-84
65.	No. 12019/2/84-B(A), dated 27-2-1985	
66.	No. 12019/1/85-B(A), dated 10-5-85	
67.	No. 32013/7/85-B(A), dated 18-7-1986	G.S.R. No. 948(E) Dated 18-7-1986